

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग—2

लखनऊ, दिनांक 03 अगस्त 2017

विषयः— अलीगढ़—रामधाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी० 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम उखलाना के खसरा संख्या:1470 में एस्सार ऑयल लिलो द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या—1821/अलीगढ़/13881/यूपी/134,/2015 दिनांक 25—02—2016 एवं पत्र दिनांक 25—01—2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अलीगढ़—रामधाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी० 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम उखलाना के खसरा संख्या:1470 में एस्सार ऑयल लिलो द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2— अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

प्रतिलिपि
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या—619 (1) / 14—2—2017—तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2— वन संरक्षक, अलीगढ़, अलीगढ़।
- 3— जिलाधिकारी, अलीगढ़।
- 4— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
- 5— डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिलो ए—5, सेक्टर—3 नोएडा।
- 6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मूर्षेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।